20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये दस रुपये TEN RUPEES

(216)

निगरानी-2642/2018/भोपाल/भू.रा.

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

~~निगरानी-2642/भोपाल~~ प्र. क्र.निगरानी-- /पीबीआर/18

(146)

1. राधाबल्लभ आ0 स्व0 श्री नर्बदा प्रसाद
2. चन्द्र प्रकाश आ0 स्व0 श्री नर्बदा प्रसाद

निवासीगण चोपडा बाजार पुराने थाने के पास
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 ....आवेदकगण

अभिभाषक श्री ... द्वारा आज दिनांक ...4/18 को पेश।

विरूद्ध

1. अनुभव गुप्ता आ0 श्री मुकेश कुमार गुप्ता

निवासीगण चोपडा बाजार पुराने थाने के पास
तहसील बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0

2. श्रीमती मजूं श्रीवास्तव पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप

निवासी बजरिया तहसील एवं जिला विदिशा

3. मनोज कुमार आ0 स्व0 श्री रामस्वरूप
4. राजेश कुमार आ0 स्व0 श्री रामस्वरूप
5. प्रीति पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप

निवासीगण चोपडा बाजार वार्ड क0 5 तहसील
बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0

6. रजनी पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप

निवासी गिन्नौरी स्कूल के पास तलैया
मोहल्ला तहसील हुजूर जिला भोपाल म0प्र ....अनावेदकगण

मुख्य कार्यालय भोपाल से दिनांक 23-4-18 को प्राप्त 23/4/18 DIR

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदकगण विद्वान नायब तहसीलदार महोदय वृत–3 तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 0001/अ–6/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28/02/18 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रति प्राप्त होने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झिकारिया तहसील बैरसिया जिला भोपाल स्थित विवादित भूमि खसरा क0 142, 143, 144 एवं 146 कुल रकवा 6.40 हेक्टयर व अन्य भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदकगण के पिता नर्मदाप्रसाद एवं चाचा श्री रामस्वरूप के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । आवेदकगण के पिता नर्मदाप्रसाद एवं चाचा श्री रामस्वरूप के नाम पर ग्राम झिकरिया के अतिरिक्त ग्राम हिरनखेडी एवं [illegible] में भी भूमि थी। उक्त ग्रामो में स्थित भूमियों के सबन्ध में आवेदकगण के पिता नर्मदाप्रसाद एवं चाचा श्री रामस्वरूप के मध्य बहामी बटवारा अपने पूर्वजो के समय में हो हो गया था । परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त पक्ष का [illegible] संयुक्त [illegible]
[illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2642/2018/भोपाल/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह सजवाण एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री उमेश भार्गव उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 29-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	